न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1 / 2024	23 / 01 / 2024	06 / 10 / 2025

1–कालीबाई उर्फ गायत्रीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2 तुलसाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3–भरोसीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4–राजकन्ता पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज,
2 भूलीबाई उर्फ भूलेशबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा
3 उदय पुत्र हेमराज नाबालिक
4 सिद्धार्थ पुत्र हेमाज नाबालिक जरिये वलिया माता फोरन्तीबाई पत्नी हेमराज
5 फोरन्तीबाई पत्नी हेमराज
6 लक्ष्मी पुत्री जोधरांज नाबालिक वलिया माता मनोज बाई पत्नी जोधराज
7 मनोज बाई पत्नी जोधराज जातियान मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला
रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट. 1956
अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.7.2004 ग्राम पंचायत इटावा बाबत इंतकाल नम्बर 1107 दिनांक 27.7.2004 ग्राम पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा जिला कोटा राज.

निर्णय

अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्मजेर अपील आदेश नामान्तकरण संख्या 1107 दिनांक 27.7.2004 पंचायत इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज, जो दिया गया है वह कानून के व न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। हुक्मजेर अपील अपीलान्ट इंतकाल नम्बर 1107 दिनांक 27.7.2004 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया पटवारी हल्का द्वारा लिया गया कि मृतक जगन्नाथ पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी इटावा की मृत्यु हो चुकी है उसके 2 पुत्र हेमराज व जोधराज है तथा 5 पुत्रिया भरोसीबाई, कालीबाई उर्फ गायत्रीवाई तुलसाबाई, राजकन्ता भूलीबाई उर्फ भुलेशबाई है तथा पत्नी छगनीबाई है कानूनगो द्वारा भी उपरोक्त सजरे के अनुसार अंकन सही होना जाहिर किया लेकिन अधिनस्थ पंचायत द्वारा अपनी मन मर्जी से खोला गया और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम दर्ज नहीं किया जबकि मृतक जगन्नाथ की पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 है उनका नाम भी मृतक जगन्नाथ के स्थान पर हुकमजेर अपील मे नाम दर्ज करना चाहिये था, जो नही दर्ज किया ऐसा करने का अधीनस्थ पंचायत को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, हुक्मजेर अपील विधि विरूद्ध तथा कानून के विपरित होने के कारण काबिल खारिज किये जाने योग्य है। हुक्मजेर अपील आदेश राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट. व रिकार्ड व रूल्स 1957 के प्रावधानो के एवं राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम ग्राम जोरावरपुरा की कृषि आराजी जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 की खाता संख्या 209 में जगन्नाथ की मृत्यु के बाद विरासतन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम दर्ज है लेकिन अधिनस्थ पंचायत द्वारा हुकमजेर अपील में ग्राम इटावा की जमीन में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम दर्ज नही किया ऐसा करने का अधिनस्थ पंचायत को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, हुक्मजेर अपील विधि विरूद्ध

होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट कम 1 ता 3 व रेस्पोडेन्ट कम 2 अपने ससुराल में रहती थी, तथा उनके हिस्से आराजी देखभाल उनके भाई जोधराज व हेमराज करते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो चुका है जो हुक्मजेर अपील में पक्षकार है। दिनांक 4.1.2024 को अपीलान्ट से प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की ने कहा कि जमीन पर हमे के.सी.सी. का लोन लेना है तो अपीलान्ट ने के के.सी.सी. का लोन ले लो तुम ही चुका देना हम हस्ताक्षर कर देगे। लेकिन प्रतिवादीगण ने कहा कि जोरावरपुरा की भूमि पर तुम्हारा नाम है लेकिन इटावा की जमीन पर तुम्हारा नाम नही है इस पर दिनांक 4.1.2024 को पटवारी हल्का में अपीलान्ट ने जानकारी ली की उपरोक्त आराजी पर जगन्नाथ के स्थान पर अपीलान्ट का नाम व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम क्यो नही दर्ज किया गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि अधिनस्थ पंचायत ने तुम्हारा नाम दर्ज नहीं किया इसमे मैं क्या कर सकता हूँ। अपीलान्ट ने कहा कि जोरावरपुरा की भूमि पर जगन्नाथ की मृत्यु के बाद हमारा नाम उनके खाते की भूमि पर दर्ज है तो पटवारी हल्का ने कहा कि इंतकाल की नकल ले जाओ ओर कार्यवाही करो मैं कुछ नहीं कर सकता और न ही तुम्हारा नाम दर्ज कर सकता। इससे पूर्व हुकमजेर अपील की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी। अपीलान्ट ने उसी दिन पटवारी हल्का इटावा से इंतकाल नम्बर 1107 की नकल प्राप्त की तो जानकारी मिली कि जगन्नाथ की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का व रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज नही किया अपीलान्ट को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह हुकमजेर अपील को निरस्त करावे ओर मृतक जगन्नाथ के स्थान पर उनकी पुत्रिया होने के नाते अपना नाम दर्ज करावे। अपीलान्ट एग्रीवड परशन अर्थात व्यथित व्यक्ति है उनके हुक्मजेर अपील से अधिकार प्रभावित हो रहे है इस कारण हुक्मजेर अपील न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। हुक्मजेर अपील की जानकारी दिनांक 4.1.2024 कों हुई और पटवारी हल्का इटावा से नकल लेने पर जानकारी मिली अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष बिना देरी के प्रस्तुत की गई है इस प्रकार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है अपील के साथ धारा 5 लिमिटेश एक्ट, का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पृथक से प्रस्तुत कर दिया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि हुक्मजेर अपील दिनांक 27.7.2004 इंतकाल नम्बर 1107 ग्राम इटावा को निरस्त फरमाया जावे और पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये उपरोक्त आराजी पर मृतक जगन्नाथ के स्थान पर उसके हिस्से आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

अपीलान्ट की ओर से अपील श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर रेस्पोडेंट की तलबी जरिए सम्मन की गई। रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से सरकार पेरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 2, 5 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 3, 4 की तलबी जर्ये माता द्वारा की गई। रेस्पोडेंट कम 6, 7 की ओर से श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अपीलान्ट 1, 2, 3, रेस्पोडेंट कम 2 विवाहित है एवं अपने–अपने ससुराल में रहती है। अतः दिनांक 20.07.2004 से 04.01.2024 तक की अवधि में पिता की विरासत का नामान्तरण जानकारी में नहीं होना बीस वर्ष की अवधि को condon करने के लिए पर्याप्त आधार माना जा सकता है।

अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर विचारार्थ स्वीकार कर नामान्तरण सं0 1107 दिनांक 27.07.2004 ग्राम पंचायत इटावा का गुणावगुण नियमों/कानूनों/नजीरों के आधार पर मनन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील श्री मनोज शर्मा ने बताया कि ग्राम जोरावरपुरा की हमारी पैतृक भूमि में हमारा नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। जबकि ग्राम इटावा की हमारी पैतृक भूमि में हमारा विरासत में नाम दर्ज नहीं किया गया जो कि सही नहीं है। इससे हमें अपूरणीय क्षति हुई है एवं नियम विरूद्ध की गई कोई भी कार्यवाही में लिमिटेशन एक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। रेस्पोडेंट कम 7 के वकील श्री कमल कुमार बंसल ने बताया कि जगन्नाथ की विरासत

का नामान्तरण 1107 ग्राम पंचायत इटावा द्वारा 27.07.2004 को स्वीकार किये जाने को 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। 20 वर्ष पुराना प्रकरण विचार करना लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्जित है। साथ ही जगन्नाथ की विरासत के पश्चात जगन्नाथ में पुत्रों की विरासत भी खुली है। 3–3 नामान्तरणकरणों के खुलने पर भी अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है? हमने नामान्तरण नं0 1107 दिनांक 27.07.2004 ग्राम पंचायत इटावा दोनों पक्षो के विद्वान वकील साहेवान पेश नजीरी, साक्ष्य एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन मनन किया एवं पाया कि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी समुदाय) में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर परम्पराएं लागू होती है एवं आदिवासी समुदाय की विवादित महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा